न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)

राजस्व वाद संख्या 16/2011

1. श्रीमति शान्ति पत्नी स्वींगय श्री रामदीन
2. श्री ताराचन्द पुत्र श्री मांगीलाल

दोनों जाति रेगर निवासियान – बस स्टेण्ड, मसूदा जिला अजमेर (राज0)

.........वादीगण

बनाम

1. श्री कालू पुत्र श्री हजारी
2. श्री चेतन पुत्र श्री हजारी
3. हरचन्द पुत्र श्री हजारी

   तीनों जाति रेगर निवासियान – रेगरान मौहल्ला, मसूदा जिला अजमेर (राज0)
4. श्री लक्ष्मण पुत्र जफरू जाति भांबी निवासी – धोलादाता तहसील मसूदा जिला अजमेर राज (राज0)
5. श्रीमान् उपपंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार महोदय, मसूदा जिला अजमेर (राज0)

........प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 08.03.2017

इस वाद पत्र में वादीगण ने साराशतः निवेदन किया है कि तहसील व ग्राम मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 3605 रक्बा 3–15–00 व 3610 रक्बा 5–07–10 व 3611 रक्बा 3–15–00 किता 3 रक्बा 12–17–10 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमियां है जिसमें 1/2 हिस्सा वादीगण का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का है। इन संयुक्त कब्जेकाश्त एवं अविभाजित भूमियों के कारण पक्षकरान के मध्स डोल पाल लगाने को लेकर विवाद होते रहते है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 से बटवारें हेतु निवेदन करने पर उन्होनें मना कर दिया है। तथा एलानियां दीगर व्यक्तियों को हस्तांतरित करने की धमकियां देते है अतः विवादित आराजियात का जरिये माप एवं सीमांकन बटवारा करवाने तथा वादीगण के हिस्से की आराजी में दखलंदाजी आदि से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावें।

प्रतिवादीगण संख्या 4 ने अपने प्रतिवाद पत्र में कथन किये है कि विवादित आराजी का ग्राम मसूदा में स्थित होना स्वीकार है किन्तु हिस्से स्वीकार नही है। विवादित आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा है और इसी अनुसार पक्षकारान विवादित आराजी में अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 4 अपने हिस्सेनुसार विभाजन के लिए तैयार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपने हिस्से की आराजी को बेचने पर आमादा है। अतः संयुक्त खाते की अविभाजित हिस्से के हस्तांतरण पर अनेका अनेक विवाद होगें। वादीगण के प्रतिवादी संख्या 4 बाबत् की गई प्रार्थना सही नही है। विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा वादीगण का है तथा 1/2 हिस्सा स्व0 रतना पुत्र लाखा का था। वह गुजर गया है। उसके दो पुत्र हजारी व बीजू थे जो गुजर गये है। हजारी के प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमशः कालू, चेतन, व हरचन्द है जिनका विवादित आराजी में 1/4 तथा बीजू के दो पुत्र गोपी व ओमप्रकाश का

1/4 हिस्सा था इन दोनों ने अपना 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 जवाब देहिन्दा लक्ष्मण भांबी को दिनांक 26.04.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया जिसका इन्तकाल संख्या 377 दिनांक 24.08.2004 से प्रतिवादी 4 के नाम संवत् 2059 से 2062 की जमाबंदी में दर्ज हो चुका है। वर्तमान में बीजू का पुत्र ओमप्रकाश फोत हो चुका है। पूर्व में भी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व गंगा पत्नि हजारी ने गोपी ओमप्रकाश पिता बीजू वगैरह के विरूद्व एक धारा 53 व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 जवाब देहिन्दा को भी पक्षकार बनाया था। और प्रतिवादी 4 के पक्ष में निष्पादित बेचाननामें को चुनोती दी थी जो अजनाम श्रीमति गंगा बनाम गोपी वगैरह से पेश किया गया था। जिसमें गोपी व ओमप्रकाश के वारिसान तथा प्रतिवादी 4 लक्ष्मण जवाब पेश कर वाद कथनों का खण्डन भी किया था लेकिन वर्तमान दावे के प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने इस वाद को आदेश दिनांक 8.08.2008 से खारिज करवा लिया था। इसलिए वादीगण को जवाब देहिन्दा प्रतिवादी संख्या 4 के 1/4 हिस्से को चुनोती देने के अधिकार नही है अतः वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/4 व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा कायम करते हुए जरिये माप एवं सीमांकन बटवारा किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे। अन्य प्रतिवादीगण ने जवाब पेश नही किया अतः उनके जवाब हक बंद किये गये।

प्रतिवादी पत्र को दृष्टिगत रखते हूए प्रकरण में तनकियात कायमी की आवश्यकता प्रतिपादित नही होती है। शहादत वादी नही करवाई गई। बहस सुनी गई वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी के तर्क उनके वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्रानुसार ही रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम मसूदा की जमाबंदी के खाता संख्या 727 की आराजी ख0 न0 3605 रक्बा 3–15–00 व 3610 रक्बा 5–07–10 तथा 3611 रक्बा 3–15–00 किता 3 रक्बा 12–17–10 में वादीगण का 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 4 के कथनानुसार विवादित आराजी में खातेदार हजारी बिजू पिता रतना के 1/2 हिस्से में से बिजू के पुत्रान गोपी व ओमप्रकाश का 1/4 हिस्सा खरीदा है लेकिन जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ प्रतिवादी संख्या 4 सहित 1/2 हिस्से को अंकित कर दिया गया है।

वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है अतः आंशिक स्वीकार किया जाता है और बहक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 डिक्री किया जाकर ग्राम मसूदा स्थित आराजी ख0 न0 3605 व 3610 तथा 3611 किता 3 रक्बा 12–17–10 में वादीगण को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 4 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है और यथानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार मसूदा को निर्देशित किया जाता है तथा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री इस आशय की पारित की जाती है कि विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य उनके हिस्सेनुसार जरिये माप एवं सीमांकन बटवारा कर नक्शे में तरमीम करते हूए मयलगान के बटवारा प्रस्ताव प्रस्तावित करावें

निर्णय आत दिनांक 08.03.2017 को सर इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 16:18:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: